MOST URGENT
PMAY-G

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36)ग्राविवि–5/सां./District Information/2018–19 दिनांक 28 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
जिला बांरा, भीलवाडा, जोधपुर एवं जयपुर

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियो की पहचान कर शामिल किये जाने के कम मे।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 21.3.18, 29.6.18, 31.07.18, 31.08.18, 14.09.18 26.09.2019, 03.10.2018, 05.10.2018, 29.10.18, 13.11.2018, 26.11.18 एवं 30.11.18।

विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडे जाने के प्रावधान के कम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय, कियावयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक में अनुमोदन उपरान्त जिलो से प्राप्त 1462821 परिवारो की संख्या ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 28.6.2018 को प्रेषित कर दी गई थी। इस कम में उक्त परिवारो का विवरण एवं आवास व प्रस्तावित निर्माण स्थल की जीयोटैग फोटो आवास प्लस एप पर इन्द्राज दिनांक 30.11.18 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान करने के कम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा बार–बार स्मरण कराने के उपरान्त भी आप द्वारा शतप्रतिशत परिवारो की सूचना आवास प्लस पर अपलोड नहीं करावायी गई, जो कि खेद जनक है।

इस कम में माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को अ.शा. पत्र दिनांक 31.1.19 द्वारा राज्य में आवास प्लस ऐप पर बकाया 76774 परिवारो की जानकारी इन्द्राज करने हेतु एवं वरीयता सूची में चयन से वंचित पात्र परिवारों को शामिल कराने हेतु शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया। उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) Dated 8-02-2019 के द्वारा स्थाई वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र परिवारों का विवरण "आवास प्लस ऐप" पर दर्ज किये जाने की अवधि दिनांक 30.11.18 से बढा कर दिनांक 7.3.19 या आदर्श आचार संहिता लागू होने तक निर्धारित कर दी गई है।

उक्तानुसार वंचित पात्र परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के किये जा रहे राज्य सरकार के उद्देश्य पूर्ति में पूर्व में जिला स्तर पर लापरवाही के कारण चिन्हित 1462821 परिवारो की शतप्रतिशत सूचना अपलोड कराने तथा इनके अतिरिक्त छूटे हुये परिवारों को शामिल कराने हेतु उक्त प्रकिया पुनः प्रारम्भ की गई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्र दिनांक 13.2.19 द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार चिन्हिकरण कर जिला स्तरीय कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी से वंचित पात्र परिवारों की अनुमोदित सूचना विभाग को ई–मेल (pdengg_rdd@yahoo.com) पर दिनांक 2.3.19 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पराविं, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जिला समस्त (बांरा, भीलवाडा, जोधपुर एंव जयपुर को छोड कर)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

28/2

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि